"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 227]   रायपुर, मंगलवार, दिनांक 17 अगस्त 2010—श्रावण 26, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 अगस्त 2010

क्रमांक 10100/196/21-अ/प्रा./छ. ग./10.---छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 11-08-2010 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 17 सन् 2010)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) अधिनियम, 2010

वित्तीय वर्ष 2010-2011 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

1. यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2010 कहलायेगा.

वित्तीय वर्ष 2010-2011 के लिये राज्य की संचित निधि में से 9,84,58,23,300/- रुपये का दिया जाना.

2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेगी, जिनका कुल योग नौ सौ चौरासी करोड़, अंठावन लाख, तेईस हजार, तीन सौ रुपया होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिये, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2010-2011 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे.

विनियोग.

3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
(1)	(2)			(3)	
			रुपये	रुपये	रुपये
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व	1,94,57,000	0	1,94,57,000
02	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय.	राजस्व	1,10,00,000	0	1,10,00,000
03	पुलिस	राजस्व	19,35,00,500	0	19,35,00,500
04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	2,00,100	0	2,00,100
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	7,00,00,100	0	7,00,00,100
07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	31,00,00,000	0	31,00,00,000

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	100	0	100
10	वन	राजस्व	8,32,00,000	0	8,32,00,000
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	5,00,00,000	0	5,00,00,000
13	कृषि	राजस्व	1,39,49,82,000	0	1,39,49,82,000
14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	18;92,000	0	18,92,000
15	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	2;52,00,000	0	2,52,00,000
16	मछली पालन	राजस्व	7,55,000	0	7,55,000
18	श्रम	राजस्व	1,81,90,000	0	1,81,90,000
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	100	0	100
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	8,82,00,000	0	8,82,00,000
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व पूंजी	50,00,000 5,00,00,000	0 0	50,00,000 5,00,00,000
24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	पूंजी	20,00,00,000	0	20,00,00,000
27	स्कूल शिक्षा	राजस्व पूंजी	39,00,00,100 100	0 0	39,00,00,100 100
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व	20,10,000	1,87,71,100	2,07,81,100
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	7,39,20,000	0	7,39,20,000
31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	83,71,000	0	83,71,000
32	जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	3,00,00,000	0	3,00,00,000
33	आदिमजाति कल्याण	राजस्व	64,60,000	0	64,60,000
36	परिवहन	राजस्व	5,00,000	22,200	5,22,200

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
38	बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान.	राजस्व	11,30,00,000	0	11,30,00,000
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	17,83,00,000	0	17,83,00,000
		पूंजी	68,75,00,000	0	68,75,00,000
41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	राजस्व	31,50,02,800	0	31,50,02,800
		पूंजी	53,25,00,600	0	53,25,00,600
42	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल.	पूंजी	5,50,00,000	0	5,50,00,000
43	खेल और युवक कल्याण	राजस्व	40,00,000	0	40,00,000
44	उच्च शिक्षा	राजस्व	3,00,00,000	0	3,00,00,000
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	राजस्व	1,50,00,000	0	1,50,00,000
		पूंजी	400	0	400
47	तकनीकी शिक्षा और जन शक्ति नियोजन विभाग.	राजस्व	89,00,100	0	89,00,100
		पूंजी	200	0	200
48	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान.	राजस्व	2,40,31,00,000	0	2,40,31,00,000
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय.	राजस्व	84,00,00,000	0	84,00,00,000
64	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	13,27,64,700	0	13,27,64,700
		पूंजी	16,50,00,400	0	16,50,00,400
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	राजस्व	100	0	100
		पूंजी	2,55,00,000	0	2,55,00,000
68	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन.	पूंजी	1,30,00,000	0	1,30,00,000
76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	पूंजी	50,00,00,000	0	50,00,00,000
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	1,600	0	1,600

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	49,44,00,000	0	49,44,00,000
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	28,04,21,000	0	28,04,21,000
82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	8,00,000	0	8,00,000
	योग -	**राजस्व**	**7,59,85,28,300**	**1,87,93,300**	**7,61,73,21,600**
		पूंजी	**2,22,85,01,700**	**0**	**2,22,85,01,700**
		वृहद योग	**9,82,70,30,000**	**1,87,93,300**	**9,84,58,23,300**

रायपुर, दिनांक 17 अगस्त 2010

क्रमांक 10100/196/21-अ/प्रा./छ. ग./10.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 3) अधिनियम, 2010 (क्रमांक 17 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 17 of 2010)

THE CHHATTISGARH APPROPRIATION (No. 3) ACT, 2010

An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh for the services of the Financial Year 2010-11.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty first year of the Republic of India as follows :-

Short title.

1. This Act may be called the Chhattisgarh Appropriation Act, 2010 (No. 17 of 2010).

Issue of Rs. 9,84,58,23,300/- from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2010-11.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of Nine hundred eighty four crore fifty eight lakhs twenty three thousand three hundred rupees towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2010-11 in respect of services specified in column (2) of the schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE
(See Section 2 and 3)

No. of Vote	Services and Purposes		Sums not exceeding		
			Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated Fund	Total
(1)	(2)			(3)	
			Rs.	Rs.	Rs.
01	General Administration	Revenue	1,94,57,000	0	1,94,57,000
02	Other expenditure pertaining to General Administration Department.	Revenue	1,10,00,000	0	1,10,00,000
03	Police	Revenue	19,35,00,500	0	19,35,00,500
04	Other expenditure pertaining to Home Department.	Revenue	2,00,100	0	2,00,100
06	Expenditure pertaining to Finance Department.	Revenue	7,00,00,100	0	7,00,00,100
07	Expenditure pertaining to Commercial Tax Department.	Revenue	31,00,00,000	0	31,00,00,000

(1)	(2)		(3)		
			Rs.	Rs.	Rs.
08	Land revenue and district administration.	Revenue	100	0	100
10	Forest	Revenue	8,32,00,000	0	8,32,00,000
12	Expenditure pertaining to Energy Department.	Revenue	5,00,00,000	0	5,00,00,000
13	Agriculture	Revenue	1,39,49,82,000	0	1,39,49,82,000
14	Expenditure pertaining to Animal Husbandry Department.	Revenue	18,92,000	0	18,92,000
15	Financial assistance to three tier Panchayati Raj Institutions under Scheduled Caste Sub Plan.	Revenue	2,52,00,000	0	2,52,00,000
16	Expenditure pertaining to Fisheries Department.	Revenue	7,55,000	0	7,55,000
18	Labour	Revenue	1,81,90,000	0	1,81,90,000
19	Public Health and Family Welfare.	Revenue	100	0	100
20	Public Health Engineering	Revenue	8,82,00,000	0	8,82,00,000
21	Expenditure pertaining to Housing and Environment Department.	Revenue Capital	50,00,000 5,00,00,000	0 0	50,00,000 5,00,00,000
24	Public works-roads and bridges.	Capital	20,00,00,000	0	20,00,00,000
27	School education	Revenue Capital.	39,00,00,100 100	0 0	39,00,00,100 100
29	Administration of Justice and Elections.	Revenue	20,10,000	1,87,71,100	2,07,81,100
30	Expenditure pertaining to Panchayat and Rural Development Department.	Revenue	7,39,20,000	0	7,39,20,000
31	Expenditure pertaining to Planning Economics and Statistics Department.	Revenue	83,71,000	0	83,71,000
32	Expenditure pertaining to Public Relations Department.	Revenue	3,00,00,000	0	3,00,00,000

(1)	(2)		(3)		
			Rs.	Rs.	Rs.
33	Expenditure pertaining to Tribal Welfare Department.	Revenue	64,60,000	0	64,60,000
36	Transport	Revenue	5,00,000	22,200	5,22,200
38	Grant from centre on the basis of Twelth Finance Commission Recommendation.	Revenue	11,30,00,000	0	11,30,00,000
39	Expenditure pertaining to Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department.	Revenue Capital	17,83,00,000 68,75,00,000	0 0	17,83,00,000 68,75,00,000
41	Tribal Areas Sub-plan	Revenue Capital	31,50,02,800 53,25,00,600	0 0	31,50,02,800 53,25,00,600
42	Public Works relating to Tribal Areas Sub-Plan-roads and bridges.	Capital	5,50,00,000	0	5,50,00,000
43	Expenditure pertaining to Sports and Youth Welfare Department.	Revenue	40,00,000	0	40,00,000
44	Expenditure pertaining to Higher Education Department.	Revenue	3,00,00,000	0	3,00,00,000
45	Minor Irrigation Works	Revenue Capital	1,50,00,000 400	0 0	1,50,00,000 400
47	Man-Power Planning and Technical Education Department.	Revenue Capital	89,00,100 200	0 0	89,00,100 200
48	Administration Upgradation Grant Under Eleventh Finance Commission.	Revenue	2,40,31,00,000	0	2,40,31,00,000
58	Expenditure on Relief on account of Natural Calamities and Scarcity.	Revenue	84,00,00,000	0	84,00,00,000
64	Scheduled Caste Sub Plan	Revenue Capital	13,27,64,700 16,50,00,400	0 0	13,27,64,700 16,50,00,400
67	Public Works-Buildings	Revenue Capital	100 2,55,00,000	0 0	100 2,55,00,000
68	Public works relating to Tribal Areas Sub-Plan-Buildings.	Capital	1,30,00,000	0	1,30,00,000

(1)	(2)		(3)		
			Rs.	Rs.	Rs.
76	Externally aided Projects pertaining to Public Works Department.	Capital	50,00,00,000	0	50,00,00,000
79	Expenditure pertaining to Medical Education Department.	Revenue	1,600	0	1,600
80	Financial assistance to Three tier Panchayati Raj Institutions.	Revenue	49,44,00,000	0	49,44,00,000
81	Financial assistance to Urban bodies.	Revenue	28,04,21,000	0	28,04,21,000
82	Financial assistance to Three tier Panchayati Raj Institutions under the tribal area sub-plan.	Revenue	8,00,000	0	8,00,000
		Total Revenue	**7,59,85,28,300**	**1,87,93,300**	**7,61,73,21,600**
		Capital	**2,22,85,01,700**	**0**	**2,22,85,01,700**
		Grand Total	**9,82,70,30,000**	**1,87,93,300**	**9,84,58,23,300**

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.